

राजस्थान सरकार  
आबकारी विभाग

# नागरिक अधिकार पत्र

## मादक पदार्थों के उत्पादन, अधिपत्य, क्रय व विक्रय पर नियंत्रण क्यों ?

1. मादक पदार्थों का व्यवसाय करना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। इन पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं बेचान की प्रक्रिया पर राज्य द्वारा उसकी नियमन सम्बन्धी शक्तियों के अन्तर्गत नियन्त्रण किया जाता है। ये शक्तियां राज्य सरकार को भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) कि बिन्दु संख्या 8 एवं 51 में मादक पदार्थों के उत्पादन, अधिपत्य, परिवहन, क्रय एवं विक्रय तथा इन पर आबकारी ड्यूटी आरोपित करने के बारे में विस्तृत प्रावधानों अन्तर्गत प्राप्त है।

आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग को इस भांति नियन्त्रित करना है ताकि गुणवत्तायुक्त मानव उपयोगी पदार्थों का उत्पादन होने के साथ-साथ इस प्रक्रिया से समुचित राजस्व अर्जित हो एवं घातक एवं अवैध मादक पदार्थ पर कठोरतम नियन्त्रण हो सकें।

## 2. आबकारी विभाग के उद्देश्य एवं कार्य-कलाप :-

1. राज्य के सर्वोन्मुखी विकास हेतु आबकारी राजस्व एकत्र करना।
2. मादक पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण पर पर्यवेक्षण, नियन्त्रण तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कारगर कार्यवाही करना।
3. घातक व अवैध मादक पदार्थों के सेवन से जनसाधारण को विमुक्त करना एवं ऐसे पदार्थों की कठोरता से नियन्त्रण करना।
4. आबकारी राजस्व को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना।

5. टेम्परेन्स (मद्यसंयम) कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन।
6. आबकारी अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना।

3. आबकारी राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोत :

मदिरा-बीयर-भांग के ठेकों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निर्धारित आबकारी एवं मद्यसंयम नीति अनुसार किया जाता है। मदिरा-बीयर-भांग के अनुज्ञाधारी इन पदार्थों का व्यवसाय करने का अनुज्ञापत्र प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि राजस्व के रूप में देने का अनुबंध करते हैं। अनुज्ञाधारियों को मदिरा का विक्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अनुसार ही किया जाता है।

इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं यथा डिस्टलरी, ब्रेवरी, बोटलिंग प्लांट, देशी मदिरा निर्माण संयंत्र, होटल एवं क्लब बार, रेस्टोरेन्ट बार, सी.एस.डी., बी.एस.एफ., प्रासव आधारित व्यवसायिक एवं निर्माण ईकाईयों आदि के अनुज्ञापत्र भी विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। विभाग की इन गतिविधियों से आबकारी राजस्व राज्यकोष को अर्जित होता है।

4. सामान्य नागरिक की जानकारी हेतु आबकारी सम्बन्धी मुख्य प्रावधान एवं व्यवस्थायें –

1. अधिकतम व्यक्तिगत अधिपत्य सीमा –

एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम निम्न मात्रा क्रय/आधिपत्य हेतु सक्षम है :-

1	Country Liquor	3 Litres as it 4 Bottle (per bottle 750 M.L.)
2(a)	Indian Made Foreign Liquor	9 Litres as it 12 Bottle (per bottle 750 M.L.)
(b)	Imported Foreign Liquor	9 Litres as it 12 Bottle (per bottle 750 M.L.)
(c)	Beer	15 Litres as it 23 Bottle (per bottle 650 M.L.)
(d)	Fermented Liquor (Wine)	12 Litres as it 16 Bottle (per bottle 750 M.L.)
3	Bhang	100 gms.

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध है।

## **2. समारोहों में मदिरा सेवन –**

- A- पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह में मदिरा के सेवन हेतु अस्थाई ऑक्जेनल अनुज्ञापत्र जारी करने की व्यवस्था है।
- B- अनुज्ञा शुल्क – 2000/– रू. प्रतिदिन।
- C- अनुज्ञापत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है – सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से।
- D- इस प्रावधान की अवहेलना दण्डनीय अपराध है।

## **3. होटल बार में मदिरा सेवन –**

आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स शुदा होटल बार में मदिरा का सेवन किया जा सकता है। जिस किसी भी होटल में, जिसे आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र नहीं दिया गया है, उसमें मदिरा सेवन करना कानूनी अपराध है। ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष की सजा एवं 2000/– रू. तक जुर्माने का प्रावधान है।

## **4. मादक पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहन देने पर प्रतिबन्ध –**

मादक पदार्थों को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों, परिपत्रों तथा समाचारों पर पूर्ण से प्रतिबन्ध है ताकि ऐसे प्रचार-प्रसार के वशीभूत होकर साधारण नागरिक मादक पदार्थों की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नहीं हो पावें।

## **5. शुष्क दिवस**

विभिन्न दिवसों की पवित्रता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित पांच शुष्क दिवस घोषित कर, मदिरा एवं भांग का बेचान, पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया हुआ है :-

1. गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)
2. शहीद दिवस (30 जनवरी)
3. महावीर जयन्ती (07 अप्रैल)
4. स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त)
5. गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर)

**6. अवैध मादक पदार्थों सम्बन्धि दण्डात्मक व्यवस्थायें –**

1. मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध है।
2. मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि गैर जमानतीय दण्डनीय अपराध है।

**7. मदिरा की खुदरा दुकानों का समय निर्धारण –**

मदिरा की दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक है।

**8. मदिरा सेवन में संयम हेतु व्यवस्था :**

राजस्थान में विक्रय होने वाली देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक बोतल पर “मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है” (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) एवं “राजस्थान में विक्रय के लिये” लिखा हुआ अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य है।

**9. मदिरा दुकानों के लोकेशन सम्बन्धी प्रावधान :**

- 1- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकान निम्नलिखित स्थलों से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर ही अवस्थित की जा सकती है :-

- (अ) महाविद्यालय
- (ब) सीनियर सैकेन्ड्री विद्यालय एवं किसी भी स्तर के कन्या विद्यालय
- (स) चिकित्सालय
- (द) अनुमोदित पूजा स्थल
- (य) लोक मनोरंजन स्थल (सिनेमा एवं थियेटर)
- (र) मजदूर या 50 प्रतिशत से अधिक हरिजन आबादी वाली हरिजन कॉलोनी।

- 2- देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकान राष्ट्रीय राज्य मार्ग / राज्य मार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर से अधिक की दूरी पर ही अवस्थित की जा सकती है।

**10. चयनित वर्ग को मदिरा बेचान पर प्रतिबन्ध :**

अनुज्ञापत्र की शर्तानुसार निम्न को मदिरा नहीं बेची जा सकती है ।

1. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को,
2. जिसके होश हवास दुरुस्त नहीं हो,
3. पुलिस तथा सेना के सिपाही जो वर्दी में व ड्यूटी पर हो,
4. रेल्वे कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो,
5. आबकारी विभाग का कर्मचारी जो वर्दी में अथवा ड्यूटी पर हों,
6. किसी भी वाहन के वाहन चालक,
7. हवाई जहाज के पायलट को यात्रा के दौरान,

**11. मदिरा की खुदरा दुकानों पर कौन कार्य नहीं कर सकता –**

1. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
2. छूत रोग से पीड़ित व्यक्ति
3. महिलाएं

**12. डोडा पोस्त का उत्पादन, भण्डारण एवं निस्तारण –**

डोडा पोस्त का उत्पादन नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी पट्टाधारी ही कर सकता है। पट्टा काश्तकार उत्पादित डोडा चूरा का निस्तारण अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक जलाकर नष्ट करना होता है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में इस अवधि को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

**13. अफीम का नियन्त्रित उपभोग :**

अफीम प्रतिबंधित मादक पदार्थ है, जिसका सेवन अभ्यस्त परमिटधारी नागरिक ही कर सकते हैं। राज्य में वर्ष 2016 में तीन अफीम पंजीकृत व्यसनी हैं । उक्त व्यसनियों को विभाग द्वारा व्यसनियों के वार्षिक स्वीकृत कोटे के अनुसार प्रतिमाह औषधिय अफीम उपलब्ध कराई जाती है।

#### 14. शिकायत कहां करें ?

आम नागरिकों द्वारा अपनी शिकायतें तथा परिवाद विभाग के राज्य स्तर पर अवस्थित विभाग के विभागीय कार्यालय यथा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर, संभाग स्तर पर— अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, सम्बन्धित जोन तथा जिला स्तर पर – जिला आबकारी अधिकारी सम्बन्धित जिला कार्यालय में, मुख्यालय, उदयपुर में संचालित कन्ट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर 18001806436 तथा विभागीय वेबसाईट <https://rajexcise.gov.in> पर भी ऑनलाईन शिकायत की जा सकती है ।

#### 15. आबकारी विभाग की प्रशासनिक संरचना :-

राजस्थान में आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में अवस्थित है एवं आबकारी आयुक्त विभागाध्यक्ष है। आयुक्त को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु मुख्यालय पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (निरोधक दल), वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी, उपायुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी, निरोधक दल एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित है। विभागीय कार्यकलापों के प्रभावी के नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के प्रशासन का विकेन्दीकरण सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन के अधीन निम्नानुसार आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :-

1	अजमेर जोन	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक
2	जयपुर जोन	अलवर, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुन्झुनू एवं सीकर
3	जोधपुर जोन	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली एवं सिरोही
4	कोटा जोन	बारां, बून्दी, झालावाड़ एवं कोटा
5	बीकानेर जोन	बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़
6	उदयपुर जोन	चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़
7	भरतपुर जोन	भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर

16. आबकारी विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों के टेलिफोन नम्बर्स की सूची: विभाग के मुख्यालय उदयपुर स्थित कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर तथा राज्य के संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, दुरभाष (कार्यालय एवं निवास) तथा फेक्स नम्बर इत्यादि की सूची परिशिष्ट- "अ" रूप में संलग्न है।

17. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत व्यवस्था :

- आबकारी विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर में वर्तमान में मुख्यालय पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, को लोक सूचना अधिकारी घोषित किये गये है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के जोन व जिला स्तर के लोक सूचना अधिकारी कार्यालयों द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाते है। लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा, इन प्राप्त आवेदनों को अधिनियम में निर्दिष्ट प्रारूप वाले रजिस्टर में इन्द्राज कर नियमानुसार निर्धारित अवधि में आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।
- विभाग की राज्य स्तर सूचनाओं को आम नागरिकों को प्रदान किये जाने हेतु इनके अधिनस्थ मुख्यालय पर एक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ पृथक से स्थापित किया गया है जहां आवेदन प्राप्त किये जाकर निस्तारण किया जाता है।
- राज्य में प्रत्येक संभाग/जिला स्तर पर पदस्थापित विभाग के अधिकारियों को उनके सम्बन्ध क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोई भी नागरिक सूचनाओं के क्षेत्र के आधार पर इस स्तर के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

- मुख्यालय में राज्य स्तरीय सूचनाओं के आवेदन के सम्बन्ध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर इनके अधीनस्थ स्थापित सूचना अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा एक ही अनुभाग से सूचनाएं सम्बन्धित होने पर आवेदक को सीधे नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा आवेदित सूचना मुख्यालय के एक से ज्यादा अनुभागों से सम्बन्धित होने पर, सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के सूचना एकजाई कर आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है।
- विभाग के विभिन्न स्तर पर पदस्थापित लोक सूचना अधिकारियों के नाम, मोबाईल, दूरभाष नम्बर्स इत्यादि की सूचना परिशिष्ट- “अ” के रूम में संलग्न है।
- आवेदित सूचना सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी (संभाग/जिला अथवा किसी भी स्तर कार्यालय) से प्राप्त नहीं होने की अवस्था में आवेदक, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी अपील, लोक सूचना (अपीलीय) अधिकारी, राजस्थान, उदयपुर सम्बोधित कर, 2 पंचवटी, आबकारी भवन, गुमानियावाला, उदयपुर, स्थित कार्यालय में कर सकता है।

#### 18. विभाग की वेबसाईट :-

विभाग का अधिकांश कार्य ऑन लाईन किया जाता है। आम नागरिक विभाग से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट <https://rajexcise.gov.in> पर लॉग ऑन कर प्राप्त सकता है।

.....



परिशिष्ट-अ

कार्यालय के दूरभाष संख्या एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आबकारी विभाग में अपीलीय प्राधिकारी एवं नियुक्त लोकसूचना अधिकारियों के नाम एवं पते

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	श्री ओ. पी. यादव I.A.S.	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	0294-2524911 0141-2744230	श्री प्रवीण गुप्ता (आई.ए.एस.) शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर	0141-2227711
2		श्री महावीर खराड़ी R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	लोक सूचना अधिकारी	0294-2523124	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
3		श्री अमृत दवे R.Act.S.	वित्तीय सलाहकार	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2528397	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
4		श्री बी. एम. असावा R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति)	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2412274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
5		श्री महावीर खराड़ी R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	संयुक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, जयपुर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2524308	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
6		सुश्री वन्दना झा R.L.S.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
7		श्री इन्द्र प्रकाश जैन	संयुक्त विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
8		रिक्त	उप विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
9		श्री बी. एम. असावा R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2412274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
10		श्रीमति रश्मि गुप्ता R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2741087	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
11		श्री प्रकाश चन्द्र रैगर (अतिरिक्त कार्यभार)	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	5644-225477	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
12		श्री छगन लाल श्रीमाली R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650394	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
13		श्री एन.एल. राठी R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2420008	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
14		श्री प्रेमचन्द मावर R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2530017	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
15		श्री सीयाराम मीणा R.A.S.	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2364577	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
16		श्रीमती रश्मि गुप्ता R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जयपुर शहर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743221	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
17		श्री नरेन्द्र सिंह	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2742584	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
18		श्री राजेन्द्र पारीक	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2630621	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
19		श्री रामलाल मीणा	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2360102	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
20		श्री लालाराम रेगर	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650326	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
21		श्री गोपाल दीक्षित	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-232229	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
22		श्री प्रेमचन्द मावर .R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2450222	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
23		श्री कुलदीप बक्शी	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2411640	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
24		श्री राजेश वर्मा R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743196	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
25		श्री रतनलाल मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2744580	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
26		श्री जितेन्द्र सिंह	जिला आबकारी अधिकारी, दौसा	लोक सूचना अधिकारी	01427-221180	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
27		श्रीमति अन्जू ओमप्रकाश	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	लोक सूचना अधिकारी	0144-2732400	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
28		श्री प्रकाश चन्द्र रेगर	जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-225477	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
29		श्री संजय सिंह दुलर (सहायक आबकारी अधिकारी)	जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर	लोक सूचना अधिकारी	05642-220763	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
30		श्री सत्यनारायण परैवा	जिला आबकारी अधिकारी, सीकर	लोक सूचना अधिकारी	01572-248650	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
31		श्री अशोक कुमार मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू	लोक सूचना अधिकारी	01592-232904	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
32		श्री एन.एल. राठी R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2970364	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
33		श्री शिव सिंह	जिला आबकारी अधिकारी,	लोक सूचना अधिकारी	01432-246717	आयुक्त, आबकारी विभाग,	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
			टॉक			राजस्थान, उदयपुर	
34		श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	जिला आबकारी अधिकारी, नागौर	लोक सूचना अधिकारी	01582-240019	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
35		श्री जगदीश प्रसाद रंगा	जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाडा	लोक सूचना अधिकारी	01482-232718	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
36		श्री छगनलाल श्रीमाली R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2555324	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
37		श्री गेमरा राम	जिला आबकारी अधिकारी, पाली	लोक सूचना अधिकारी	02932-256326	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
38		श्री मोहन राम पूनियां	जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही	लोक सूचना अधिकारी	02972-220709	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
39		श्री देवेन्द्र दशोरा	जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर	लोक सूचना अधिकारी	02982-220427	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
40		श्री बुद्धीप्रकाश मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर	लोक सूचना अधिकारी	02992-251608	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
41		श्री विनोद वैष्णव	जिला आबकारी अधिकारी, जालोर	लोक सूचना अधिकारी	02973-222543	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
42		श्री ओमप्रकाश पंवार	जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2200884	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
43		श्री अशोक कुमार असीजा R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2470182	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
44		श्री फतेह मोहम्मद खां R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ	लोक सूचना अधिकारी	01552-222088	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
45		श्री मोहम्मद इकबाल	जिला आबकारी अधिकारी, चुरू	लोक सूचना अधिकारी	01562-250307	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
46		श्री योगेश श्रीवास्तव (सहायक आबकारी अधिकारी)	जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2427360	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
47		श्री रियाजुद्दीन उस्मानी	जिला आबकारी अधिकारी, राजसमंद	लोक सूचना अधिकारी	02952-221650	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
48		श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा (सहायक आबकारी अधिकारी)	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ	लोक सूचना अधिकारी	01472-241587	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
49		श्री हरफूल चन्दोलियां (सहायक आबकारी अधिकारी)	जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा	लोक सूचना अधिकारी	02962-250560	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
50		श्री विवेकानन्द शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी, डूंगरपुर	लोक सूचना अधिकारी	02964-230009	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
51		श्री मुकेश देवपुरा	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ	लोक सूचना अधिकारी	01478-222330	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
52		श्री मानसिंह मीणा R.A.S	जिला आबकारी अधिकारी, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2365623	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
53		श्री महावीर प्रसाद शर्मा (सहायक आबकारी अधिकारी)	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	लोक सूचना अधिकारी	0747-2457249	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
54		श्री सत्यनाराण आमेटा R.A.S	जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड	लोक सूचना अधिकारी	07432-232138	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
55		श्री तपेशचन्द्र जैन	जिला आबकारी अधिकारी, बारां	लोक सूचना अधिकारी	07453-231526	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
56		श्री आदराम	जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर	लोक सूचना अधिकारी	07462-222008	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
57		श्री संजीव चौधरी	जिला आबकारी अधिकारी, करौली	लोक सूचना अधिकारी	07464-220271	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
58		श्री गौरवमणी जौहरी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर शहर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743221	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
59		श्री रामसिंह	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2313289	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
60		श्री ज्ञानप्रकाश मीणा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अलवर	लोक सूचना अधिकारी	0144-2372310	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
61		श्री जितेन्द्र सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, दौसा	लोक सूचना अधिकारी	01427-221901	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
62		श्री अरविन्द प्रताप सिंह	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, झुन्झुनू	लोक सूचना अधिकारी	01592-238976	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
63		श्री महेन्द्र हरसाणा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सीकर	लोक सूचना अधिकारी	01572-270476	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
64		श्री मिठदूलाल रावत (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-232229	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
65		श्री मिठदूलाल रावत	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, धौलपुर	लोक सूचना अधिकारी	05642-240653	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
66		श्री संजीव चौधरी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, करौली	लोक सूचना अधिकारी	07464-251258	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
67		श्री त्रिलोकी पालीवाल	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सवाईमाधोपुर	लोक सूचना अधिकारी	07462-223636	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
68		श्री विजय जोशी	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2631621	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
69		श्री महेन्द्र सिंह शेखावत (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, नागौर	लोक सूचना अधिकारी	01582-247118	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
70		श्री नरेन्द्र कुमावत	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, भीलवाडा	लोक सूचना अधिकारी	01482-264075	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
71		श्री शिव सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, टोंक	लोक सूचना अधिकारी	01432-244899	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
72		श्री लालाराम रेगर (E.O. EPF) (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650318	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
73		श्री मोहन राम पूनियां (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सिरोही	लोक सूचना अधिकारी	02972-222557	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
74		श्री दुर्गपाल सिंह R.P.S.	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जालौर	लोक सूचना अधिकारी	02973-223098	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
75		श्री गेमरा राम (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, पाली	लोक सूचना अधिकारी	02932-257806	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
76		श्री राकेश शर्मा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जैसलमेर	लोक सूचना अधिकारी	02992-255354	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
77		श्री देवेन्द्र दशोरा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बाडमेर	लोक सूचना अधिकारी	02982-222998	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
78		श्री अमरजीत सिंह	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, श्रीगंगानगर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2450222	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
79		श्री गजेन्द्र सिंह	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चुरू	लोक सूचना अधिकारी	01562-251429	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911



क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
80		श्री नियाज मोहम्मद	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2530274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
81		श्री सहदेव सिंह रतनू	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, हनुमानगढ़	लोक सूचना अधिकारी	01552-223507	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
82		श्रीमती दिव्या मित्तल R.P.S.	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2482121	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
83		श्री रियाजुद्दीन उस्मानी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, राजसमंद	लोक सूचना अधिकारी	02952-220228	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
84		श्री मुकेश देवपुरा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, प्रतापगढ़	लोक सूचना अधिकारी	01478-221320	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
85		श्री मदन लाल खटीक	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, डूंगरपुर	लोक सूचना अधिकारी	02966-230761	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
86		श्री महावीर कुमार राठौड़	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बांसवाडा	लोक सूचना अधिकारी	02962-247566	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

क्र. सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8
87		श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चित्तौडगढ़	लोक सूचना अधिकारी	01472-240749	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
88		श्री चन्द्रसेन	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2364860	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
89		श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बुन्दी	लोक सूचना अधिकारी	0747-2457683	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
90		श्री सत्यनारायण आमेटा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, झालावाड	लोक सूचना अधिकारी	07432-233765	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911
91		श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बारां	लोक सूचना अधिकारी	07453-231183	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524911

नोट :- दिनांक 01.02.2017 तक की स्थिति के अनुसार उक्त सूचना अद्यतन है।